दिनांक 05.08.2016 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य के नगर निगम/नगर परिषद के नगर आयुक्तों/कार्यपालक पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के साथ हुई विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति– उपस्थिति पंजी के अनुसार।

2. **14वॉ वित्त आयोगः–** 14वॉ वित्त आयोग की राशि, जो वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सभी नगर निकायों को आवंटित किया गया है, उसकी निकासी शत–प्रतिशत कर लिया जाय। साथ ही उक्त राशि के व्यय के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प के आलोक कार्य का निष्पादन किया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

3. **मुख्यमंत्री शहरी नली–गली पक्कीकरण योजनाः–** जिन नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नगर निकायों का House to House survey कराकर तथा नजरी नक्शा तैयार कर वेवसाईट पर उपलब्ध Master sheet में अपलोड नहीं किया गया वे शीघ्र ही इसे अपलोड करायें तथा विभाग को उसकी हार्ड कॉपी तथा CD दिनांक 10.08.16 तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें साथ ही दिनांक 15.08.16 तक निश्चित रूप से निविदा हेतु सूचना एवं जन संपर्क विभाग को भेजें। जिन निकायों द्वारा निविदा हेतु सूचना एवं जन संपर्क विभाग को भेज दिया गया है, उसका प्रतिवेदन विभाग में भेजना सुनिश्चित करें। जंहॉ जिला शहरी विकास अभिकरण में कार्यपालक अभियंता नहीं हैं वहॉ जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाय तथा विभाग में पत्र भेजें। नगर परिषद रक्सौल में बोर्ड भंग हो गया है। इस संबंध में प्रतिवेदन विभाग को भेजा जा चुका है। विभाग द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ निदेशक, नगरपालिका प्रशासन)

4. **स्वच्छ भारत मिशन :–** शौचालय निर्माण में पटना, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर एवं कटिहार काफी पीछे हैं तथा यहॉ लक्ष्य से काफी कम शौचालय का निर्माण हुआ है। इन जिलों में विशेष अभियान चलाकर निर्माण कार्य में तेजी लाया जाय। कुछ जिलों में बताया गया कि बाढ़ के कारण कार्य नहीं हो पा रहा है। वैसे जिलों के उन वार्डों में निर्माण कार्य कराया जाय जो बाढ़ से प्रभावित नहीं है। दिनांक 30.09.16 तक 2015–16 तक का निर्धारित लक्ष्य का निर्माण निश्चित रूप से पूरा कर लिया जाय। अब तक जितने भी शौचालय का निर्माण पूरा हो चुका है तथा जितने में कार्य किया जा रहा है उसकी संख्या एवं अद्यतन फोटो ऑनलाईन अपलोड कराकर प्रतिवेदन 15 अगस्त, 16 तक MIS के माध्यम से भेजें ताकि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली समीक्षा में प्रस्तुत किया जा सके।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

5. **Housing for All:-** कुल स्वीकृत 30216 आवासीय ईकाई का निर्माण कार्य निश्चित रूप से अगस्त माह में पूरे बिहार में प्रारंभ किया जाना है। इसके लिए सभी आवश्यक प्रकिया पूर्ण कर लाभुकों को कार्यादेश 15.08.16 तक दे दिया जाय। इस संबंध में दिये गये विभागीय निदेशों का अनुपालन सभी नगर निकाय द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

6. **IHSDP**:– इस कार्यक्रम की प्रगति बहुत ही धीमी है। इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में विभाग द्वारा एक शपथ दायर किया गया है जिसमें मार्च 2017 तक के लिए कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। प्रथम तिमाही 30 सितम्बर, 16 तक निर्धारित लक्ष्य को ससमय पूरा कर लिया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

7. **DAY-NULM :-** पुराने रैनबसेरों का जीर्णोद्धार कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कुछ निकायों द्वारा रैनबसेरा में अवैध कब्जा होना बताया गया है। अवैध कब्जा हटाने हेतु जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया जाय। नये रैनबसेरों का निर्माण कार्य शीघ्र पुरा करा लिया जाय। जिन रैनबसेरों का जीर्णोद्धार एवं नये रैनबसेरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है उसके संबंध में विभाग को प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

8. **राजीव आवास योजना**:– पटना एवं दरभंगा नगर निगम में बड़ी संख्या में अभी भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। नगर आयुक्त, पटना/दरभंगा इस संबंध में अभियान चलाकर जिन आवासीय ईकाई का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है उसे शीघ्र प्रारंभ करें तथा इसका सतत अनुश्रवण करें। यदि राशि की कमी है तो विभाग से राशि की मॉग करें साथ ही व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी भेजें। अभी तक जितना आवास पूर्णरूपेण पूर्ण है उसका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करा दें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

9. **पथ एवं पुलिया**:– इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में स्वीकृत योजनाओं के 10.00 लाख रुपये तक की देनदारी की सम्पूर्ण राशि विमुक्त कर दी गई है तथा 10.00 लाख रुपये से उपर की देनदारी की राशि का 50 प्रतिशत विमुक्त कर दिया गया है, जिसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड कर दिया गया है। राशि की निकासी तुरंत करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

10. **लोक लेखा समिति**:– समिति द्वारा प्रतिवेदित कंडिका 3.4 का अनुपालन लंबित है। पूर्व की बैठक में प्रतिवेदन भेजने हेतु आश्वस्त किया गया था परन्तु अभी तक साक्ष्य सहित प्रतिवेदन न तो लोक लेखा समिति/ महालेखाकार, पटना को भेजा गया है न ही विभाग को उसकी प्रति दी गयी। दिनांक 22.08.16 को समिति की बैठक निर्धारित है। अतः उक्त तिथि से पूर्व प्रतिवेदन लोक लेखा समिति/ महालेखाकार, पटना एवं विभाग को साक्ष्य सहित निश्चित रूप से भेजें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

11. **सम्राट अशोक भवन**:– सम्राट अशोक भवन से संबंधित नगर निकायों की समीक्षा की गई। कुछ नगर निकाय द्वारा यह जानकारी दी गई कि सम्राट अशोक भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। वैसे नगर निकाय को यह निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्रतिवेदन विभाग को भेजें ताकि आगे निर्णय लिया जा सके। प्रशासनिक भवन का निविदा निष्पादन हेतु टी.एस./एन.आई.टी. के लिए विभाग के तकनीकी कोषांग में लंबित पड़ा हुआ है। इस संबंध में मुख्य अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अविलंब इसका निष्पादन कर निकाय को भेजें ताकि प्रशासनिक भवन शीघ्र तैयार किया जा सके।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग।)

12. **प्रशासनिक भवनः**– प्रशासनिक भवन से संबंधित नगर निकायों की समीक्षा की गई। कुछ नगर निकाय द्वारा यह जानकारी दी गई कि प्रशासनिक भवन बनाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो रहा है। वैसे नगर निकाय को यह निदेश दिया गया कि इस संबंध में प्रतिवेदन विभाग को भेजें ताकि आगे निर्णय लिया जा सके। प्रश.ासनिक भवन का निविदा निष्पादन हेतु टी.एस./एन.आई.टी. के लिए विभाग के तकनीकी कोषांग में लंबित पड़ा हुआ है। इस संबंध में मुख्य अभियंता को निदेश दिया जाता है कि अविलंब इसका निष्पादन कर निकाय को भेजें ताकि प्रशासनिक भवन शीघ्र तैयार किया जा सके।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी/ मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग।)

13. **राजस्व (होल्डिंग टैक्स) वसूलीः**– टैक्स वसूली पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। कुछ निकायों द्वारा इस संबंध में ससमय प्रतिवेदन भी नहीं भेजा जा रहा है। ससमय प्रतिवेदन भेजा जाय। जहॉ कर संग्राहकों की कमी है वहॉ 4 प्रतिशत कमीशन पर कर संग्राहक रखकर वसूली किया जाय। जिस निकाय का सर्वे नहीं हुआ है वहॉ मिनिमम निर्धारित होल्डिंग टैक्स वसूल करना सुनिश्चित करें। ऑनलाईन किये जाने में यदि कोई समस्या हो तो विभाग में संबंधित तकनीकी पदाधिकारी से बात करें और समस्या का निष्पादन शीघ्र करायें। सरकारी भवनों पर बकाया राशि के संबंध में भवन के प्रभारी पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी को लिखते हुए विभाग को भी प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

14. **सहायक अनुदान की राशिः**– वित्तीय वर्ष 2003–04 से वर्ष 2012–13 तक सहायक अनुदान की राशि जो नगर निकाय के पी.एल. खाता में जमा है उस राशि को सरकार के खजाने में चलान द्वारा जमा करने का निदेश पूर्व में भी दिया गया है। इस संबंध में पुनः निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2012–13 की जो भी राशि पी.एल. खाता में है उसे कोषागार में जमा कर चलान की प्रति फार्म 40 (ii) A में उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर उसके साथ तीन चेक लिस्ट एवं स्वीकृत्यादेश की अभिप्रमाणित प्रति के साथ चलान की छाया प्रति लगाकर विभाग में भेजें ताकि उसकी जॉच कर प्रति हस्ताक्षर कर महालेखाकर, बिहार को भेजा जा सके।

सभी नगर निकायों को रोटेशन वाईज उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार कर विभाग में जमा करने हेतु निदेश दिया गया है। उसका अनुपालन शत–प्रतिशत किया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

15. **उपयोगिता प्रमाण–पत्र** :–सभी योजनान्तर्गत व्ययगत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शीघ्र विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय। उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों का एक रोटेशन वाईज दल का गठन किया गया है (पत्रांक 4796 दिनांक 26.07.16 द्रष्टव्य) जो निर्धारित तिथि को आपके जिले में जायेंगे। दल को अधिक–से–अधिक राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालन– नगर आयुक्त/ कार्यपालक पदाधिकारी।)

16. **Double entry accounting** :– नगर निकाय के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया कि कुछ निकायों में double entry accounting हेतु प्रतिनियुक्त कर्मचारी नगर निकाय में नहीं जाते हैं। निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में प्रतिनियुक्त कर्मियों का निकायवार उपस्थिति के दिन निर्धारित कर सम्बन्धित नगर

आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी सीधे स्पर के प्रभारी पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेंगे। नगर निकाय में निर्धारित दिनों पर उपस्थित दर्ज करवाएँ तथा उपस्थिति एवं कार्यकलाप के सम्बन्ध में सीधे स्पर के प्रभारी पदाधिकारी को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, स्पर, नगर विकास एवं आवास विभाग)

17. **Solid Waste Management:-** इससे संबंधित बायलॉज शीघ्र तैयार कर लिया जाय।

(अनुपालन– प्रभारी पदाधिकारी, स्पर, नगर विकास एवं आवास विभाग)

18. अनुपस्थित नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी, जिनका प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए, से स्पष्टीकरण माँगा जाय।

(अनुपालन– निदेशक, नगरपालिका प्रशासन।)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई। 11/8/2016

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 5303 न. वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 11/8/2016
प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रषित।

11/8/2016
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 5303 न. वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 11/8/2016
प्रतिलिपि– नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/ कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/8/2016
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक– 5303 न. वि. एवं आवास विभाग/ पटना, दिनांक 11/8/2016
प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी/ मुख्य अभियंता, बुडा, टीम लीडर, स्पर/ अभियंत्रण कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं विभागीय आई.टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

11/8/2016
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव